HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN
BENCH AT JAIPUR

S.B. Criminal Miscellaneous Bail Application No. 13560/2026
CNR: RJHC020834882026 | URN: CRLMB / 25070U / 2026

Batram@bathram@ramsingh S/o Ramkuvar, Aged About 32 Years, R/o Dhani Salavali, Tan Ganeshwar, Police Station Neemkathana, Sadar Present Gugla Ka Guvada In Ajabgarh, Birkari, Thana Pratapgarh, District Alwar. (At Present Confined At Sub Jail Kotputli).

----Petitioner

Versus

State Of Rajasthan, Through Pp

----Respondent

For Petitioner(s) : Mr. Vipul Khandelwal
For Respondent(s) : Mr. S R Dhakar, PP

HON'BLE MRS. JUSTICE SHUBHA MEHTA

Order

10/09/2026

प्रार्थी की ओर से धारा 483 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के प्रावधानों के अन्तर्गत पुलिस थाना सरूण्ड, जिला–कोटपूतली बहरोड़ में दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 92/2026 अपराध अन्तर्गत धारा 115(2), 126(2), 117(2), 309(4)(6), 309(4)(7), 112(2) भारतीय न्याय संहिता में जमानत का लाभ दिये जाने हेतु यह प्रार्थनापत्र पेश किया गया है।

बहस सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी–अभियुक्त का तर्क है कि प्रार्थी को प्रकरण में मिथ्या संलिप्त किया गया है। उनका तर्क है कि प्रार्थी को केवल मोबाईल फोन की लोकेशन के आधार पर ही प्रकरण में अभियुक्त बनाया गया है। प्रार्थी से ट्रांसफार्मर के तार, कॉपर कॉयल, ऑयल व अन्य सामान की बरामदगी नहीं हुई है, बल्कि सहअभियुक्तगण से हुई है। उनका तर्क है कि प्रार्थी के विरूद्ध वर्ष 2017 के बाद कोई प्रकरण संस्थित नहीं हुआ है तथा उसके विरूद्ध संस्थित 03 आपराधिक प्रकरण

इससे पूर्व के हैं। प्रार्थी दिनांक 11.07.2026 से अभिरक्षा में है। प्रकरण की अन्वीक्षा में समय लगेगा। अतः प्रार्थी को जमानत का लाभ प्रदान किया जावे।

इसके विपरीत योग्य लोक अभियोजक का तर्क है कि प्रार्थी पर यह आक्षेप है कि उसने आदतन अपराधी के साथ मिलकर परिवादी की फैक्ट्री श्याम एग्रो प्रोडक्ट, प्रा0लि0 में चौकीदार को बांधकर उसके साथ मारपीट की और ट्रांसफार्मर को खोलकर कॉपर कॉयल, ऑयल व मशीनों के पार्ट्स आदि चुराये हैं। जिस कार से चोरी का सामान ले गये थे, उसकी पहचान भी प्रार्थी द्वारा की गई है। प्रकरण में अभी अन्वेषण पूर्ण नहीं हुआ है। प्रार्थी–अभियुक्त के विरूद्ध गम्भीर अपराधों का अभियोग है। अतः अपराध की गम्भीरता को ध्यान में रखते हुए जमानत प्रार्थनापत्र निरस्त किये जाने का निवेदन किया।

प्रस्तुत तर्कों पर मनन किया। पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। प्रार्थी–अभियुक्त के विरूद्ध धारा 115(2), 126(2), 117(2), 309(4)(6), 309(4)(7), 112(2) भारतीय न्याय संहिता के अपराधों का अभियोग है। प्रार्थी पर यह आक्षेप है कि उसके द्वारा सहअभियुक्तगण के साथ मिलकर रात्रि गृह भेदन करते हुए परिवादी की फैक्ट्री श्याम एग्रो प्रोडक्ट, प्रा0लि0 में घुसकर चौकीदार को बंधक बनाया और उसके साथ मारपीट की तथा ट्रांसफार्मर को खोलकर उनमें से कॉपर कॉयल, ऑयल व वहां मौजूद मशीनों के पार्ट्स आदि चुराये। प्रार्थी–अभियुक्त द्वारा प्रकरण की उक्त घटना आदतन अपराधियों के साथ मिलकर कारित की गई है, जिनके विरूद्ध पूर्व के क्रमशः 24 व 32 आपराधिक प्रकरण संस्थित हैं। प्रार्थी–अभियुक्त के विरूद्ध पूर्व के तीन आपराधिक प्रकरण संस्थित हैं, जिनमें से दो प्रकरण चोरी के होकर इसी प्रकृति के हैं। प्रकरण में अभी अन्वेषण पूर्ण नहीं हुआ है। उपर्युक्त समस्त तथ्यों एवं परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए प्रार्थी–अभियुक्त को जमानत का लाभ दिया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है।

परिणामस्वरूप प्रार्थी–अभियुक्त की ओर से धारा 483 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के प्रावधानों के अन्तर्गत प्रस्तुत यह जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त किया जाता है।

(SHUBHA MEHTA),J

74/VISHAL SHARMA